नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

कालू बनाम रामलाल वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 23 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर, तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
26.03.25	अधिवक्ता प्रार्थी ने मय वाद प्रार्थना पत्र पेश कर एकतरफा बहस में निवेदन किया की भूमि ख0न0 240, 244, 284, 298, 406, 407, 7, 8 कुल किता 08 कुल रकबा 4.2362 हैक्ट. व ख0न0 263, 292/462, 294, 295, 299 कुल किता 04 कुल रकबा 3.1866 हैक्ट. व ख0न0 241, 242 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1391 हैक्ट. व ख0न0 319, 334, 335, 336, 337 कुल किता 05 कुल रकबा 6.3099 हैक्ट. व ख0न0 415 रकबा 0.3541 व ख0न0 257 रकबा 0.0506 हैक्ट. व ख0न0 63, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 कुल किता 15 कुल रकबा 8.6618 हैक्ट. व ख0न0 130, 131 कुल किता 02 कुल रकबा 1.4163 हैक्ट. वाके ग्राम हाजीपुरा उर्फ इलाहीपुरा, पटवार हल्का हरिपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से हक हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित आराजीयात प्रतिपक्षी संख्या 01 को उसके पिता नेहनूलाल से अर्थात प्रार्थी के दादाजी नेहनूलाल से प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त आराजीयात प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या 01 की पैत्तृक पुश्तैनी आराजीयात है। उक्त आराजीयात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वादी के पैदा होते ही उसका अपने दादा की संपत्ति में हक हिस्सा निहित हो गया था। इस प्रकार उक्त आराजीयात में प्रतिपक्षी संख्या 01 के साथ प्रार्थी व उसके भाई राजू, श्योराज, सुरेश, पांचू का उक्त संलग्न पारिवारिक सजरे अनुसार 1/6, 1/6 हिस्सा है और इसी अनुसार प्रार्थी मौके पर उक्त आराजीयात के अपने हक हिस्से पर काबिज चला आ रहा है। परन्तु प्रतिपक्षी संख्या 01 अपने अन्य पुत्रो राजू, श्योराज, सुरेश, पांचू के बहकावे में है और प्रार्थी को उसके हक व हिस्से से महरूम करने की दृष्टि से बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के प्रतिपक्षी संख्या 01 के नाम अंकित होने का फायदा उठाकर उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने व रहन, दान, बेचान करने तथा प्रार्थी को उक्त आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है। जिसका प्रतिपक्षीगण को कोई वैधानिक अधिकार नही है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)	

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में प्रस्तुत प्रा0पत्र का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है। अतः प्रतिपक्षी संख्या 01 को अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी पेशी तक पाबन्द किया जाता है की वे भूमि आराजी 240, 244, 284, 298, 406, 407, 7, 8 कुल किता 08 कुल रकबा 4.2362 हैक्ट. व ख0न0 263 रकबा 1.7071 हैक्ट. व ख0न0 292/462, 294, 295, 299 कुल किता 04 कुल रकबा 3.1866 हैक्ट. व ख0न0 241, 242 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1391 हैक्ट. व ख0न0 319, 334, 335, 336, 337 कुल किता 05 कुल रकबा 6.3099 हैक्ट. व ख0न0 415 रकबा 0.3541 व ख0न0 257 रकबा 0.0506 हैक्ट. व ख0न0 63, 64, 65, 66, 67, 68, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 कुल किता 15 कुल रकबा 8.6618 हैक्ट. व ख0न0 130, 131 कुल किता 02 कुल रकबा 1.4163 हैक्ट. वाके ग्राम हाजीपुरा उर्फ इलाहीपुरा, पटवार हल्का हरिपुरा में प्रार्थी के हक हिस्से तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिती बनाये रखे। प्रतिपक्षीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी0 जारी हो। यदि इस आदेश के जारी होने में आपत्ति हो तो प्रतिपक्षीगण नियत तिथि पर उपस्थित होकर उज्र पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 22.04.2025 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

22/4/25 पत्रावली पेश हुई अधि० प्रार्थी उप० समक्ष तलबाना पेश होकर पत्रावली दिनांक 27-6-25 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

27/6/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिपक्षी उपस्थित/श्री [illegible] साहब राजकार्य में व्यस्त/ अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली [illegible] के अनुसार दिनांक 22.07.25 पेश हो।

Ram

22/07/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित रहे। बार-2 आवाजे लगायी गई, परन्तु कोई उपस्थित नही हुआ। अन्तिम आवाज साय: 5:00 बजे लगायी गई। अधिवक्ता प्रार्थी व पक्षकारान अनुपस्थित रहे। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।